

Dated: 12.08.2025

General Manager, Deptt of Corporate Services, Bombay Stock Exchange Ltd. PJ Tower, 25<sup>th</sup> Floor, Dalal Street Mumbai-400001

Sub: Newspaper Advertisement-Disclosure under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached herewith copy of newspaper advertisements, published on 09.08.2025 in The Financial Express (English) and in Jansatta (Hindi) with respect with respect to the Annual General Meeting, Book closure and remote e-voting information.

The aforesaid information has also been uploaded on the website of the Company a <a href="https://www.emmforce.com">www.emmforce.com</a>.

This is for your information and records please.

Yours Sincerely
EMMFORCE AUTOTECH LIMITED

(PARUL GUPTA)
COMPAMNY SECRETARY



Illiance Pvt. Ltd to participate in online bid. For Technical se contact support.baanknet@psballiance.com https://baanknet.com and for clarifications related to this h https://baanknet.com





AUTHORIZED OFFICER (INDIAN BANK)

## EMMFORCE AUTOTECH LIMITED

(CIN - U29301HR2023PLC115705)

Regd. Office: Plot No. 287, Industrial Area, Phase II, Industrial Estate Panchkula-134113 Haryana Email: ashok.mehta@emmforce.com, Email: info@emmforce.com | Website: https://emmforce.com/

## NOTICE OF 2nd AGM THROUGH VC/OAVM, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 2nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Monday, September 1, 2025 at 11.30 A.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the Notice of

In compliance with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circulars read with circulars issued by the Securities and Exchange Board the AGM. of India ("SEBI") in this regard Companies are allowed to hold AGM through VC/ OAVM, without the physical presence of the members at a common venue. Hence, the 2nd AGM of the company is being held through VC / OAVM. Members attending the AGM through VCIOAVM shall be counted for purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013 ("Act"). The instructions

for joining the AGM through VC/OAVM are provided in the Notes forming part of the Notice of AGM. In accordance with the aforementioned Circulars, electronic copies of the Annual Report containing the Notice of AGM for the financial year 2024-25 ("AR") are being circulated, to all the Members whose e-mail lds are registered with the Company/ Depository Participants ("DP")/ MUFG Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"). The AR is also available on the website of the

Company at www.emmforce.com and the website of RTA www.in.mpms.mufg.com, providing the e-voting facilities to the company. In compliance with the provisions of the Act including Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR"), the Company is providing to its Members the facility to exercise their right to vote at 2nd AGM by electronic means (remote e-voting). The facility for voting through electronic means shall also be made available during the AGM (e-voting at AGM), for those Members who have not cast their vote by remote e-voting. The both facilities of remote e-voting and evoting at AGM will be provided by MUFG Intime India Pvt. Limited ("MUFG Intime"). For details relating to remote e-voting and e-voting during the AGM, please refer to the notes forming part of the Notice of AGM. All the Members are informed that:

- The business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through voting by remote e-voting or e-voting at AGM.
- The remote e-voting facility shall commence on August 29, 2025 (9:00 AM)
- The remote e-voting shall end on August 31, 2025 (5:00 PM)
- The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time by MUFG Intime India Private Limited. Once the vote on a resolution is cast by the member, it cannot be changed subsequently.
- 5. Only those persons, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the August 25, 2025 (cut-off date) shall be entitled to vote, either through remote e-voting or through e-voting at AGM.
- 6. The members attending AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting at AGM. Members who will cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be eligible to vote at the AGM.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes member after dispatch of the Notice and holding shares as on cutoff date may obtain the login ID and password as per the procedure specified in the notes of Notice of AGM.
- If the member is already registered with MUFG Intime India Private Limited for e-voting, then the existing user ID and password may be used for casting the vote through remote e-voting, if he has forgotten the password. He/she can reset the same by using the "Forgot User Details/ Password" option available on enotices@in.mpms.mufg.com.
- 8. In case of any queries relating to e-voting, members may write an email to instameet@in.mpms.mufg.com members may also contact the Company Secretary of the company by writing an email to info@emmforce.com or at Mobile No 9876009999.
- Members who have not updated their e-mail addresses with the Company are requested to update their e-mail addresses by sending copy of the following documents by email to info@emmforce.com:
- a) Asigned request letter mentioning your name, folio number and complete address and Scanned copy of Share Certificate (front and back) in case of shares are held in physical mode. In case shares are held in demat mode, please provide request letter along with DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement;
- b) Self-attested scanned copy of PAN and Aadhar Card.
- Alternatively, Members holding share in dematerialized mode, may register their e-mail addresses with their DP before cut-off date.
- 10. The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the company can cast their vote through remote e-voting or e-voting at AGM in the same manner by registering their email IDs or getting user ID/ Password as stated in the notes to Notice of AGM.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with Rules made thereunder and Regulation 42 of the LODR, the Register of Members and Transfer Books of the Company will be closed from August 28, 2025 to September 1, 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Place: Panchkula Date: 08.08.2025

9

9

ck

e.

ard d/-

dia

tor 21

> By order of the Board For Emmforce Autotech Limited Sd/- (Ashok Mehta) Managing Director, DIN: 00058188

पानीपत, सीमा:- उत्तर में: सड़क, दक्षिण में: मुकेश केश्यर की पर पूर्व ने: साना सर्ग सीमा, जिसका स्वामित्व श्रीमती बबली के पास बिक्री विलेख संख्या 12188 दिनांक 05-03-2007 के माध्यम से उप सेसाई आईडी: 400091038702 के साथ पंजीकृत है।

दिनांकः ०५.०८.२०२५ स्थानः पानीपत

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

## एम्मफोर्स ऑटोटेक लिमिटेड

(CIN - U29301HR2023PLC115705)

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट संख्या 287, औद्योगिक क्षेत्र, फेज 2, औद्योगिक एस्टेट पंचकृला-134113, हरियाणा ईमेलः ashok.mehta@emmforce.com, ईमेलः info@emmforce.com वेबसाइटः https://emmforce.com/

## वीसी/ओएवीएम के माध्यम से दूसरी एजीएम की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर सूचना

इसके द्वारा सृचित किया जाता है कि कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 1 सितंबर, 2025 को पूर्वाह्र 11.30 बजे वीडियो कॉन्फोंसंग ("वीसी")/ अन्य आिडियो विजुञ्जल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, तािक एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय का संचालन किया जा सके। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") के परिपत्रों के अनुपालन में, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') हारा इस संबंध में जारी परिपत्रों के साथ, कंपनियों को सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थित के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है। इसलिए, कंपनी की दूसरी एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम से आयोजित करने की गणना के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शाम लेने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना के भाग के रूप में नीट्स में दिए गए हैं। उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 ("एआर") के लिए एजीएम की सूचना वाली वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को वितरित की जा रही है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपाँजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("डीपी")/एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("असटीए") के पास पंजीकृत है। एआर कंपनी की वेबसाइट www.emmforce.com और आरटीए की वेबसाइट www.in.mpms.mufg.com पर भी उपलब्ध है, जो कंपनी की इं-वोटिंग की सुविया प्रदान करती है।

अधिनयम के प्रावधानों, जिसमें इसके तहत बनाए गए नियम और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनयम, 2015 ("एलओडीआर") शामिल हैं, के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा दूसरी एजीएम में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उनके लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम में ई-वोटिंग) के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("एमयूएफजी इनटाइम") द्वारा रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग दोनों सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग से संबंधित विवरण के लिए, कृपया वार्षिक आम बैठक की सूचना के नोट्स देखें। सभी सदस्यों को सुवित किया जाता है कि:

- वार्षिक आम बैठक की सुचना में निर्धारित कार्य रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
- 2. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा 29 अगस्त, 2025 (सुबह 9:00 बजे) से शुरू होगी।
- 3. रिमोट ई-चोटिंग 31 अगस्त, 2025 (शाम 5:00 बजे) को समाप्त होगी।
- 4 एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हारा उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। एक बार सदस्य हारा किसी प्रस्ताव पर बोट डाल दिए जाने के बाद, उसे बाद में बदला नहीं जा सकता।
- केवल वे व्यक्ति, जिनके नाम 25 अगस्त, 2025 (कट-ऑफ तिथि) तक सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रिजस्टर में दर्ज हैं, रिमोट ई-बोटिंग या वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के माध्यम से बोट देने के हकदार होंगे।
- 6. एजीएम में भाग लेने वाले वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालेंगे, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे।
- 7. कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नेटिस भेजे जाने के बाद सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वार्षिक आम बैठक की सूचना के नोट्स में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ पहले से पंजीकृत है, तो यदि वह पासवर्ड भूल गया है, तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है। वह enotices@in.mpms.mufg.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए" विकल्प का उपयोग करके इसे रीसेट कर सकता है।
- 8. ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य instameet@in.mpms.mufg.com पर ईमेल लिख सकते हैं। सदस्य info@emmforce.com पर ईमेल लिखकर या मोबाइल नंबर 9876009999 पर कंपनी के कंपनी सचिव से भी संपर्क कर सकते हैं।
- जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति info@emmforce.com पर ईमेल द्वारा भेजकर अपने ईमेल पते अपडेट करें:
- ए) यदि शेवर भीतिक रूप में हैं तो आपके नाम, फोलियो संख्या और पूरे पते का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र और शेवर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे) की स्कैन की गई प्रति। यदि शेवर डीमैट रूप में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्यी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति के साथ अनुरोध पत्र प्रदान करें;
- बी) पैन और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति।
  - वैकल्पिक रूप से, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कट-ऑफ तिथि से पहले अपने डीपी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत कर सकते हैं।
- 10. जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर रखते हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे एजीएम की सूचना के नोट्स में बताए अनुसार अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करके या युजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करके उसी तरह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

ऑपनियम की धारा 91 के प्रावधानों के साथ उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और एलओडीआर के विनियमन 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और स्थानांतरण पुस्तकें एजीएम के उद्देश्य से 28 अगस्त, 2025 से 1 सितंबर, 2025 तक (दोनों दिन सम्मिलत) बंद रहेंगी।

स्थानः पंचकृता तिथः ०८.०८.२०२५

25

99

8-

ur.

AT,

to

ons

:00 the

MAN

EE)

बोई के आदेशानुसार एम्फोर्स ऑटोटेक लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षरकर्ता/- (अशोक मेहता) प्रबंध निदेशक, बीआईएन: 00058188



